



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042020-219200  
CG-DL-E-27042020-219200

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1227]  
No. 1227]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2020/वैशाख 7, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2020/VAISAKHA 7, 1942

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2020

का.आ.1374(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खण्ड (कक) तथा (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में नियम 7 के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।
3. मूल नियम में, नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"7क. अधिकारों के त्यजन के पश्चात् अर्जन- भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति से जिसने अधिकार का त्यजन किया है, उस अधिकार का अर्जन किया है इन नियमों के नियम 21 के अधीन मार्गदर्शक



सिद्धांतों के मूल्यांकन के अनुसार उक्त अधिकारों के एवज में साम्य लिखतों (शेयर वारंट से भिन्न) का अर्जन कर सकता है।"

4. मूल नियम में, अनुसूची 1 में, सारणी में:-

(i) क्र. सं. 15.3.1 के सामने स्तंभ (2) के अधीन थी प्रविष्टियों में, उप-शीर्षक "टिप्पण" के अधीन, क्र. सं. (3) में, "पहला स्टोर" शब्दों के पश्चात्, "अथवा ऑनलाइन खुदरा विक्रय की शुरुआत, इनमें से जो भी पूर्ववत हो" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) क्र. सं. एफ. 8.1 पर, स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "क्षेत्र/क्रियाकलाप" शीर्षक के अधीन, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्

"बीमा कंपनी"

(iii) क्रम सं. एफ 8.2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"एफ.8.2	मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती बीमा दलाल, पुनर्बीमा दलाल, बीमा परामर्शक, कॉरपोरेट अभिकर्ता, तीसरा पक्ष प्रशासक, सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक और इस प्रकार की अन्य इकाइयाँ, जिन्हें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, सहित मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती	100%	स्वतः"

(iv) इस प्रकार प्रतिस्थापित क्र. सं. एफ. 8.2 के पश्चात्, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)
"एफ. 8.3	अन्य शर्तें
	<p>(क) कोई भी भारतीय बीमा कंपनी पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा अपने इक्विटी शेयरों में कुल विदेशी निवेश के माध्यम से ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की समादत्त इक्विटी पूंजी के उनचास प्रतिशत से अनधिक कुल होल्डिंग की अनुमति नहीं देगी।</p> <p>(ख) भारतीय बीमा कंपनी की कुल समादत्त इक्विटी के उनचास प्रतिशत तक की विदेशी निवेश की भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन या सत्यापन के अध्यक्षीन स्वचालित मार्ग पर अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(ग) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश, बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अनुपालन के अध्यक्षीन होगा और यह शर्त होगी कि एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियों को बीमा और संबंधित गतिविधियों के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से आवश्यक अनुज्ञा या अनुमोदन प्राप्त हो।</p> <p>(घ) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय संस्थाओं के हाथों में हर समय बना रहे, जैसा कि वित्तीय सेवा विभाग या भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अवधारित नियमों या नियमों के अनुसार उनके द्वारा समय - समय पर जारी किया गया है।</p>



(ड) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अध्याय-4 में नियम 10 और नियम 11 और इन नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 के उपबंधों की अनुसूची-2 के साथ पढ़े जाने वाले उपबंधों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(च) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में कोई वृद्धि इन नियमों में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के मूल्यांकन के अनुसार होगा।

(छ) 100 प्रतिशत की विदेशी इक्विटी निवेश सीमा, बीमा दलाल, पुनर्बीमा दलाल, बीमा परामर्शक, कॉरपोरेट अभिकर्ता, तृतीय पक्षकार प्रशासक, सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक और इस तरह की अन्य इकाइयों को उक्त उन्हीं शर्तों पर लागू हो सकती हैं, जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए। तथापि, उपर्युक्त खंड (घ) में विनिर्दिष्ट भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण की शर्त, मध्यवर्तियों और बीमा मध्यवर्तियों पर लागू नहीं होगी और निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का संयोजन समय-समय पर संबंधित नियमकों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ज) प्राधिकरण द्वारा सत्यापित स्वतः मार्ग के अध्यक्षीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की अनुमति दी जाएगी और मध्यवर्ती संस्था या बीमा मध्यवर्ती संस्था में विदेशी निवेश को भारतीय बीमा कंपनियों (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के समय-समय पर यथा-संशोधित: नियम 7 और 8 के अधीन प्रदान की गई शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा:

परंतु बैंक जैसी संस्था, जिसका प्राथमिक व्यवसाय बीमा क्षेत्र में नहीं है, को प्राधिकरण द्वारा बीमा मध्यवर्ती संस्था के रूप में कार्य करने की अनुमति हो, उस क्षेत्र में विदेशी इक्विटी निवेश की सीमा इस शर्त के अध्यक्षीन लागू होती रहेंगी कि ऐसी संस्थाओं का राजस्व प्राथमिक (गैर-बीमा संबंधी) व्यवसाय से किसी भी वित्तीय वर्ष में उनके कुल राजस्व का 50 प्रतिशत से ऊपर रहना चाहिए।

(झ) बीमा मध्यवर्ती संस्थाएं जिनके पास विदेशी निवेशकों की बहुसंख्यक शेयरधारिता है, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगी:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित हो;

(ii) निदेशक मंडल के अध्यक्ष, अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रमुख अधिकारी अथवा बीमा मध्यवर्ती संस्थाओं के प्रबंध निदेशक में से कोई एक भारत का नागरिक हो;

(iii) प्रत्यावर्तन डिविडेड के लिए प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लें;

(iv) आधुनिक तकनीक, प्रवर्धन तथा अन्य कार्यकुशलताओं का परिचय दें;

(v) विदेशी समूह अथवा संस्थापक अथवा सहायक कंपनी अथवा अंतर्संयोजक अथवा संयुक्त इकाइयों को आवश्यक अथवा प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिक भुगतान न करें;

(vi) इसके समूह अथवा संस्थापक अथवा सहायक कंपनी अथवा अंतर्संयोजक अथवा संयुक्त इकाइयों के लिए किए गए सभी भुगतानों को प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रारूपों में खुलासा करें;

(vii) संबंधित विनियमनकर्ताओं द्वारा संचालक मंडल की संरचना और प्रमुख प्रबंधनकर्ता व्यक्तियों के बारे में ब्योरा दिया जाएगा;

(ज) क्र. सं. एफ.2.1 के सामने विनिर्दिष्ट शीर्षक "बैंकिंग निजी क्षेत्र" के अधीन अन्य शर्तें बैंकों के संदर्भ



	<p>में परिवर्तित बीमा कंपनियों के संबंध में लागू होंगी।</p> <p>(ट) "नियंत्रण", "इक्विटी शेयर पूंजी", "विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" (एफडीआई, "विदेश निवेशकर्ता", "विदेशी पोर्टफोलियो निवेश", "भारतीय बीमा कंपनी", "भारतीय कंपनी", "भारतीय बीमा कंपनी का भारतीय नियंत्रण", "निवासी भारतीय नागरिक", "कुल विदेशी निवेश" पदों का वही अर्थ होगा जो 19 फरवरी, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.115(अ) में वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी की गई हैं और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हैं।"</p>
--	--

(v) मूल नियमों की अनुसूची II में पैरा 1 के उप-पैरा (क) के खण्ड (iii) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"प्रस्तावित सीमा के उल्लंघन में निवेश कर रहे एफपीआई के पास उल्लंघन करने वाले कार्यकलापों के निपटान की तारीख से पांच व्यापारिक दिनों के भीतर अपनी आस्तियों का विनिवेश करने का विकल्प होगा। यदि एफपीआई विनिवेश नहीं करने का निर्णय लेती है तो ऐसे एफपीआई और उसके निवेशक समूह द्वारा कंपनी में किया गया संपूर्ण निवेश एफडीआई के अधीन किया गया निवेश माना जाएगा और एफपीआई एवं उसके निवेशक समूह संबंधित कंपनी में आगे पोर्टफोलियो निवेश नहीं कर पाएगा। इस संबंध में एफपीआई अपने अभिहित संरक्षक के माध्यम से उल्लंघन का कारण बनने वाले कार्यकलापों के समापन की तारीख से सात व्यापारिक दिनों के भीतर अपने रिकार्ड में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु न्यासियों और साथ ही संबंधित कंपनियों को सूचित करेगा। एफपीआई द्वारा संपत्तियों का समापन और एफपीआई निवेश का एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकरण इस संबंध में सेबी और आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन होगा। विहित सीमा के भीतर ऐसे अर्जन और बिक्री या एफडीआई में संपरिवर्तन के बीच की अवधि में ऐसे अर्जन के कारण कथित सकल या सेक्टरल सीमा का उल्लंघन इन नियमों के अधीन उल्लंघन नहीं माना जाएगा।"

[फा.सं. 01/05/ईएम/2019]

आनंद मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं.का.आ. 3732(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं.का.आ.4355(अ), तारीख 05 दिसंबर, 2019 और का.आ. 1278(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2020 द्वारा पश्चात्तवर्ती संशोधन किए गए।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2020

**S.O. 1374(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

- 1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Second Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 7, the explanation shall be omitted.
3. In the principal rules, after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:



**"7A. Acquisition after renunciation of rights.-** *A person resident outside India who has acquired a right from a person resident in India who has renounced it may acquire equity instruments (other than share warrants) against the said rights as per pricing guidelines specified under rule 21 of these rules".*

4. In the principal rules, in Schedule 1, in the Table,-

(i) against serial number 15.3.1, in the entries under column (2), under sub-heading "Note", in serial number (3), after the words "first store", the words "*or start of online retail, whichever is earlier*" shall be inserted.

(ii) serial number F.8.1, for the entries in column (2), under the heading "Sector/Activity", the following entry shall be substituted, namely:-

*"Insurance Company"*

(iii) for serial number F. 8.2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"F.8.2	<i>Intermediaries or Insurance Intermediaries including insurance brokers, re-insurance brokers, insurance consultants, corporate agents, third party administrator, Surveyors and Loss Assessors and such other entities, as may be notified by the Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time.</i>	<i>100%</i>	<i>Automatic"</i>

(iv) after serial number F.8.2 as so substituted, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)
"F.8.3	<b>Other Conditions</b>
	<p>(a) <i>No Indian Insurance company shall allow the aggregate holdings by way of total foreign investment in its equity shares by foreign investors, including portfolio investors, to exceed forty-nine percent of the paid up equity capital of such Indian Insurance Company.</i></p> <p>(b) <i>The foreign investment up to forty-nine percent of the total paid-up equity of the Indian Insurance Company shall be allowed on the automatic route subject to approval or verification by the Insurance Regulatory and Development Authority of India.</i></p> <p>(c) <i>Foreign investment in this sector shall be subject to compliance with the provisions of the Insurance Act, 1938 and the condition that Companies receiving FDI shall obtain necessary license or approval from the Insurance Regulatory and Development Authority of India for undertaking insurance and related activities.</i></p> <p>(d) <i>An Indian Insurance company shall ensure that its ownership and control remains at all times in the hands of resident Indian entities as determined by Department of Financial Services or Insurance Regulatory and Development Authority of India as per the rules or regulation issued by them from time to time.</i></p> <p>(e) <i>Foreign portfolio investment in an Indian Insurance company shall be governed by the provisions contained in Chapter-IV, rule 10 and rule 11 read with Schedule-II of these rules and provisions of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014.</i></p> <p>(f) <i>Any increase in foreign investment in an Indian Insurance company shall be in accordance with the pricing guidelines specified in these rules.</i></p> <p>(g) <i>The foreign equity investment cap of 100 per cent shall apply on the same terms as above to insurance brokers, re-insurance brokers, insurance consultants, corporate agents, third party administrator, Surveyors and Loss Assessors and such other entities, as may be notified by the Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time. However, the condition of Indian owned and controlled, as specified in clause (d) above, shall not be applicable to Intermediaries and Insurance Intermediaries and composition of the Board of Directors and key management persons shall be as specified by the concerned regulators from time to time.</i></p> <p>(h) <i>The foreign direct investment proposals shall be allowed under the automatic route subject to verification by the Authority and the foreign investment in intermediaries or insurance intermediaries shall be governed by the same terms as provided under rules 7 and 8 of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, as amended from time to time:</i></p> <p><i>Provided that where an entity like a Bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Authority to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from the primary (non-insurance related) business must remain above 50 per cent of their total revenues in any financial year.</i></p>



	<p>(i) <i>The insurance intermediary that has majority shareholding of foreign investors shall undertake the following:</i></p> <p>(i) <i>be incorporated as a limited company under the provisions of the Companies Act, 2013;</i></p> <p>(ii) <i>at least one from among the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer or Principal Officer or Managing Director of the insurance intermediary shall be a resident Indian citizen;</i></p> <p>(iii) <i>shall take prior permission of the Authority for repatriating dividend;</i></p> <p>(iv) <i>shall bring in the latest technological, managerial and other skills;</i></p> <p>(v) <i>shall not make payments to the foreign group or promoter or subsidiary or interconnected or associate entities beyond what is necessary or permitted by the Authority;</i></p> <p>(vi) <i>shall make disclosures in the formats to be specified by the Authority of all payments made to its group or promoter or subsidiary or interconnected or associate entities;</i></p> <p>(vii) <i>composition of the Board of Directors and key management persons shall be as specified by the concerned regulators;</i></p> <p>(j) <i>The other condition under the heading 'Banking-Private Sector' specified against serial number F.2.1 shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies.</i></p> <p>(k) <i>Terms 'Control', 'Equity Share Capital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian Insurance Company', 'Indian Company', 'Indian Control of an Indian Insurance Company', 'Indian Ownership', 'Non-resident Entity', 'Public Financial Institution', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign Investment' will have the same meaning as provided in Notification No. G.S.R 115 (E), dated the 19<sup>th</sup> February, 2015 issued by Department of Financial Services and regulations issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India from time to time."</i></p>
--	--

(v) In the principal rules, in Schedule II, for the entries in clause (iii) of sub-paragraph (a) of paragraph 1, the following entries shall be substituted, namely:-

*"The FPIs investing in breach of the prescribed limit shall have the option of divesting their holdings within five trading days from the date of settlement of the trades causing the breach. In case the FPI chooses not to divest, then the entire investment in the company by such FPI and its investor group shall be considered as investment under Foreign Direct Investment (FDI) and the FPI and its investor group shall not make further portfolio investment in the company concerned. The FPI, through its designated custodian, shall bring the same to the notice of the depositories as well as the concerned company for effecting necessary changes in their records, within -seven trading days from the date of settlement of the trades causing the breach. The divestment of holdings by the FPI and the reclassification of FPI investment as FDI shall be subject to further conditions, if any, specified by Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank in this regard. The breach of the said aggregate or sectoral limit on account of such acquisition for the period between the acquisition and sale or conversion to FDI within the prescribed time, shall not be reckoned as a contravention under these rules."*

[F. No. 01/05/EM/2019]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended vide numbers S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019 and S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020.